[TO BE PUBLISHED IN PART II – SECTION 3 – SUB-SECTION (II) OF THE GAZETTE OF INDIA]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, dated the 14th November, 2013.

NOTIFICATION

(F. No. A-15011/06/2012-Ins.I)

Priya Kumar)
Director (Insurance)

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Press, New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग-॥ खंड 3 - उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय वितीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

का॰ आ॰...... जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, ऐतद्द्वारा, श्री संजय कल्लापुर को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

(फा॰ स॰ ए-15011/06/2012-Ins.I)

प्रिया कुमार) निदेशक (बीमा)

सेवा मे,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड, नई दिल्ली।